उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा की अध्यक्षता में दिनांक-13.08.2024 को सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा के न्यास परिषद (शासी परिषद) की बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति- पंजी में दर्ज है। श्रीमति दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-माननीय विधायक, महागामा विधानसभा क्षेत्र ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित।
2. सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों/पदाधिकारियों का उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी०एम०एफ०टी०, गोड्डा के द्वारा स्वागत किया गया एवं सभी माननीय सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को DMFT की मार्गदर्शिका एवं उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताया गया कि न्यास परिषद की बैठक द्वारा जिले के अन्तर्गत खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं की प्राथमिकता एवं वरीयता निर्धारण करते हुए योजनाओं को पारित किया जाना है। तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
3. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा PMKKKY के गाईडलाईन में जनवरी, 2024 में किये गये संशोधन से अवगत कराया गया एवं बताया गया कि नये संशोधित नियमों में DMF के तहत राशि के व्यय हेतु विभिन्न निर्देशों एवं प्रावधान किये गये है। नये प्रावधानों एवं पुराने प्रावधानों में तुलनात्मक अंतर को Power Point के माध्यम से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया एवं सभी सदस्यों को नये दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा नये संशोधित नियमों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश अभितक निर्गत नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में नये संशोधित नियमों पर कार्रवाई की जायेगी।
4. गत बैठक की कार्रवाई के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा की गई जो निम्न प्रकार है:-
   - I. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 9.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निविदा प्रकाशित हो गया है।
   - II. बोहरा स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसका कार्यान्वियन जिला परिषद, गोड्डा द्वारा किया जा रहा है।
   - III. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में 13 स्वास्थ्य केन्द्र शेष है, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के रूप में परिवर्तित किया जाना है एवं सुन्दरपहाड़ी व बोआरीजोर प्रखण्ड में मलेरिया के प्रकोप के रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने, दवाओं का छिड़काव करने एवं Volunteer को नियुक्त करते हुए रोगियों की पहचान कर इलाज हेतु नजदीकी चिकित्सालयों में पहुचाने संबंधी कार्य योजना रखी गई, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

     इसी क्रम में सिविल सर्जन, गोड्डा द्वारा DMFT मद से मोबाईल मेडिकल यूनिट एवं मोबाईल डायग्नोस्टिक यूनिट हेतु क्रय किये गये चिकित्सा वाहनों के

निबंधन हेतु 2,34,600.00 रूपये उपलब्ध कराने एवं वाहनों के संचालन हेतु ड्राईवर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

IV. DMFT मद से नियुक्त एवं कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों का अवधि विस्तार हेतु चर्चापरांत सर्वसम्मति से DMFT मद से नियुक्त पारा चिकित्सा कर्मियों को क्रमशः दिनांक-01.09.2024 से 31.08.2024 तक तथा दिनांक-01.04.2024 के प्रभाव से 31.03.2025 तक का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

अवधि विस्तार की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी गयी कि सात दिनों के अन्दर सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोड्डा सभी चिकित्सा पदाधिकारी/पारा चिकित्सा कर्मियों के संबंध में यदि कार्य के प्रतिकूल कोई टिप्पणी हो तो प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर किन्ही के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी/प्रतिवेदन नहीं होता है, तो वे उपरोक्त उल्लेखित अवधि के लिए अवधि विस्तार हेतु सर्वथा योग्य है।

V. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि DMFT के तहत् जिला अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहत्तर चिकित्सा सुविध प्रदान करने के उद्देश्य से संविदा आधारित 06 चिकित्सक एवं 34 पारा कर्मियों का नियमानुसार चयन किया गया है एवं चयनोपरांत नव नियुक्त कर्मियों को जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापन कर दी गई, जिसे पारित करने हेतु सदन में रखा गया। समीक्षोपरांत 06 चिकित्सक एवं 34 पारा कर्मियों का नव नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

VI. डॉ प्रशांत कुमार मिश्रा, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गोड्डा के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि DMFT मद से वर्ष 2023 में नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिनांक-03.11.2023 से दिये जा रहे 1,50,000.00 रूपये संविदा वेतन के आलोक में उन्हें भी समतुल्य मानदेय दिया जाय। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से डॉ प्रशांत कुमार मिश्रा को दिनांक-03.11.2023 के प्रभाव से मासिक संविदा वेतन के रूप में 1.50 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

(अनुपालन- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोड्डा/सिविल सर्जन, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

5. श्रीमति दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-माननीय विधायक, महागामा विधानसभा क्षेत्र द्वारा भगैया के बुनकरों के Skill Development के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर बताया गया कि 1000 महिला बुनकरों को DMFT मद से Skill Development प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय मंत्री द्वारा महागामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी एवं बोआरीजोर में Skill Development Centre के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(अनुपालन- अंचलाधिकारी, महागामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी एवं बोआरीजोर/श्रम अधीक्षक-सह-कौशल विकास पदाधिकारी, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT, गोड्डा।)

6. गोड्डा जिला अन्तर्गत पुस्तकालयों के जीर्णोद्धार के क्रम में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पुराने समाहरणालय भवन में जिला स्तरीय digital library का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 50 कम्प्यूटर का अधिष्ठापन किया गया है। उक्त digital library में लाईब्रेरी के साथ-साथ गोड्डा जिला के छात्रों के कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित विभिन्न Certificate कोर्स कराये जाने की भी योजना बनायी जा रही है, ताकि बैंकिग, रेलवे, SSC इत्यादि परीक्षाओं में मांगे जाने वाले कम्प्यूटर से संबंधित प्रमाण-पत्र छात्रों को सुलभ हो सके एवं प्रमाण-पत्र हेतु यत्र-तत्र भटकना ना पड़े एवं अनावश्यक आर्थिक दोहन ना हो। सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा/ PMU DMFT, गोड्डा।/नोडल पदाधिकारी, DMFT, गोड्डा।)

7. समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गोड्डा को जिला स्कूल गोड्डा के ST, SC एवं OBC छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य 07 दिनों के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

माननीय विधायक, पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र द्वारा गोड्डा कॉलेज, गोड्डा स्थित छात्रावास में मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा छात्रावासों का निरीक्षण कर आक्लन किया गया है, जिसमें कई तरह के जीर्णोद्धार कार्य शामिल है। तत्काल गोड्डा कॉलेज छात्रावास में DMFT मद से 200 विधुत चालित पंखा एवं 200 मच्छरदानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि गोड्डा जिला में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विधिवत् रूप से प्राप्त हो तो उस पर अवश्य ही कार्रवाई करते हुए योजना की स्वीकृति दी जायेगी। उक्त के क्रम में बताया गया कि छोटे स्तर पर शुरूवात करते हुए वर्त्तमान में 92 पंचायत स्तरीय लाईब्रेरी का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें बच्चों युवा एवं बुर्जुग इत्यादि के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 105 पंचायतों में भी पंचायत स्तरीय लाईब्रेरी संचालन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(अनुपालन- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा/जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा/ PMU DMFT, गोड्डा।/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गोड्डा /नोडल पदाधिकारी, DMFT, गोड्डा।)

8. माननीय विधायक, पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र द्वारा गांधी मैदान, गोड्डा में 04-05 फीट Artificial Ruber walking Track लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

9. माननीय विधायक, पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र द्वारा बताया गया है कि अमजोरा पुल एप्रोच पथ के अभाव में उपयोगी नहीं है, पर एप्रोच पथ निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि पुल का उपयोग हो सके।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वैसे एप्रोच पथविहीन पुल/पुलिया जिनके दोनों प्राक्कलन अर्थात् पुल के प्राक्कलन एवं पथ के प्राक्कलन में एप्रोच पथ का प्रावधान नहीं था और अभी भी वहाँ एप्रोच पथ नहीं बना है तथा एप्रोच पथ के अभाव में उस पुल का उपयोग बाधित है, की समुचित जाँच कराते हुए एवं संबंधित विभागों से प्राक्कलन में एप्रोच पथ का प्रावधान नहीं होने संबंधी सत्यापनोपरान्त, वैसे एप्रोच पथ विहीन पुल/पुलिया के एप्रोच पथ के निर्माण कराने की स्वीकृति सर्वसम्मति से गत वर्ष के न्यास परिषद की बैठक में प्रदान की गई है।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोड्डा / नोडल पदाधिकारी, DMFT)

10. समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा गोड्डा जिला अन्तर्गत सभी 09 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV अधिष्ठापन एवं चहारदीवारी निर्माण मॉडल डायनिंग ऐरिया का निर्माण, मॉड्यूलर किचन, नया बर्तन VR Lab एवं प्रयोगशाला निर्माण तथा एवं जिले के 03 उत्कृष्ट विद्यालयों यथा जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, गोड्डा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कन्या, गोड्डा एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुन्दरपहाड़ी में VR Lab अधिष्ठापन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय धमनी सुन्दरपहाड़ी में लगभग 300 छात्र अध्ययनरत है। उक्त विद्यालय में भी सुरक्षा की दृष्टीकोण से CCTV अधिष्ठापन एवं चहारदीवारी निर्माण मॉडल डायनिंग ऐरिया का निर्माण, मॉड्यूलर किचन, नया बर्तन VR Lab एवं प्रयोगशाला निर्माण हो जाने से छात्रों को अद्यतन स्तर का शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा। उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसी क्रम में माननीय विधायक, पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र द्वारा परसपानी हैम्योपैथिक महाविद्यालय, गोड्डा में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा DMFT PMU टीम को महाविद्यालय का निरीक्षण करते हुए आवश्यकता एवं उपयोगिता से संबंधित सुस्पष्ट प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन- प्राचार्य, परसपानी हैम्योपैथिक महाविद्यालय, पथरगामा, गोड्डा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा /जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा/ DMFT PMU टीम/नोडल पदाधिकारी)

11. पेयजल से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछेक चापाकल खराब पड़ा हुआ है। उक्त के क्रम कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि गत वर्ष गोड्डा जिलान्तर्गत अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में 1365 राईजर पाईप को DMFT मद से बदला गया है। पुराने पाईप खराब हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित होता है। पुनः 742 राईजर पाईप बदलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उक्त के क्रम में श्रीमति दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार-सह-माननीय विधायक, महागामा विधानसभा क्षेत्र द्वारा महागामा विधानसभा अन्तर्गत 05 पानी टंकी जो पूर्व से बनकर तैयार है, को चालू करने का प्रस्ताव रखा गया। यह भी बताया गया कि 01 पानी टंकी जर्जर

है, जिसे ध्वस्त कर दिया जाय। उक्त के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा बताया गया कि 02 पानी टंकी JJM के तहत् आच्छादित है, जिस पर DMFT की राशि व्यय नहीं करने का विभागीय निर्देश है एवं 02 पानी टंकी में वाद लंबित है।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं सवच्छता प्रमण्डल, गोड्डा/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोड्डा जिला/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

12. DMFT मद से विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि

    i. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा क्रियान्वित विवाह भवन, पोड़ैयाहाट का Soil Test कार्य पूर्ण हो गया है एवं योजना निविदा प्रक्रिया में है।
    आंगनबाड़ी केन्द्र, अमुवार संथाली, बोहा, लिट्टी में भूमि अनुपलब्ध रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

    ii. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा DMFT मद से स्वीकृत 140 योजनाओं में से 10 में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

    iii. जिला अभियंता, जिला परिषद, गोड्डा द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण पोड़ैयाहाट का निर्माण कार्य भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं सवच्छता प्रमण्डल, गोड्डा/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गोड्डा/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा/जिला अभ्यिंता, जिला परिषद, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

13. सांसद प्रतिनिधि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के द्वारा ITI कॉलेज सुन्दरपहाड़ी एवं उच्च विद्यालय, कौआढाव में चहारदिवारी निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा गया, जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- DMFT PMU टीम/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

14. श्री अमित कुमार मंडल, माननीय विधायक, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र द्वारा बताया गया कि कई योजनाओं के दोहरीकरण या अन्य मद से स्वीकृत हो जाने के कारण उक्त के स्थान पर नव स्वीकृत योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही DMFT से स्वीकृत छोटी-छोटी योजनाओं का शिलान्यास एक साथ कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय विधायक द्वारा मछिया सिमड्डा के लालपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। उक्त के क्रम में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गत वर्ष DMFT मद से 99 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृत दी गई है एवं वर्त्तमान में ग्रामीण विकास विभाग से 182 एवं समाज कल्याण विभाग से 88 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जायेगा।

    समीक्षा के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्यनरत 03-06 वर्ग आयु के बच्चे फर्स में बैठकर शिक्षा इत्यादि

प्राप्त करते है। उक्त की स्थिति में सर्दी एवं ठंड से बचाव हेतु बच्चों को ऊनी पेंट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा सुन्दरपहाड़ी एवं बोआरीजोर क्षेत्रों के किसानों की आय एवं फसल उत्पादकता की वृद्धि हेतु Agro Techinolgical Park की स्थापना एवं Integrated Farming का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर समीक्षोपरांत पारित किया गया।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, गोड्डा/ जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

15. बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत मुखिया भटौधा द्वारा बताया गया कि भटौधा में माईनिंग कार्य होने के वावजूद गांव रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। खनन कार्य के कारण भटौधा के डुमरीटोला एवं कुशल टोला में जल स्तर काफी निचे चला गया है, जिससे पेयजल का संकट हो गया है। भटौधा पानी टंकी से पेयजल का Connection देने का प्रस्ताव रखा गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा को स्थल का निरीक्षण कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

माननीय मंत्री-सह-विधायक, महागामा विधानसभा क्षेत्र द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुर्रा-सी परियोजना के खनन कार्य के पहले जोरिया से राज डाड़ हरिपुर, हहरजोर, डुमरिया इत्यादि 42 मौजा में पटवन का पानी आता था। जो हुर्रा-सी परियोजना के खनन कार्य के कारण उक्त पहाड़ी जोरिया में मिट्टी डालने के कारण जोरिया में पानी का बहाव बंद हो गया, जिसके कारण पटवन कार्य बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे 42 मौजा के किसानो को काफी नुकसान हो रहा है। उक्त क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र है। जोरिया के चालू हो जाने से किसानों को सिंचाई की सुविध मिलेगी। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा DMFT PMU टीम को अविलम्ब स्थल का निरिक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/DMFT PMU टीम/नोडल पदाधिकारी, DMFT)

16. उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि DMFT PMU का संचालन पूर्व में Swaniti Initiative, New Delhi द्वारा किया जा रहा था। MoU के शर्त्तों के अधीन बाह्यश्रोत एजेन्सी का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत नये एजेन्सी के चयन हेतु निविदा प्रकाशित की गई। निविदा के माध्यम से Swisstech Infra & Consulting Pvt Ltd का चयन किया गया है। वर्त्तमान माह मार्च, 2024 से DMFT PMU का पुर्नगठन करते हुए संचालन किया जा रहा है, जिसके घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।

17. उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव के द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ सदन में प्रस्तुत किया गया, जो **परिशिष्ट क** पर संधारित है।

चर्चोपरांत सर्वसम्मति से वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।

18. DMFT मद से वित्तीय वर्ष-2023-24 एवं 2024-25 (माह जुलाई, 2024 तक) की पूर्व की 568 योजनाएँ जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 179.3493624 करोड़ है, के कार्यान्वयन की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ सदन में प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि संलग्न सूची में अंकित योजना को समय-समय पर DMFT के प्रबंधकीय समिति की बैठक में समीक्षा उपरांत जनोपयोगी एवं आवश्यक पाया गया है एवं घटनोत्तर स्वीकृति हेतु न्यास परिषद की बैठक में पारित कराने की अनुशंसा की गई है। चर्चोपरांत सर्वसम्मति से वर्ष-2023-24 एवं 2024-25 (माह जुलाई, 2024 तक) पुर्व की योजनाओं के घटनोत्तर स्वीकृति को अनुमोदित किया गया, जो **परिशिष्ट ख** पर संधारित है।

19. बैठक में उपस्थिति विभिन्न प्रखण्डों के जनप्रतिनिधियों यथा- अध्यक्ष, जिला परिषद, गोड्डा प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया इत्यादि द्वारा DMFT मद से कार्यान्वयन हेतु योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिए तैयार वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया। चर्चोपरांत सर्वसम्मति से वार्षिक कार्य योजना वर्ष-2024-25 को अनुमोदित किया गया, जो **परिशिष्ट ग** पर संधारित है।

20. अन्यान्य।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि गोड्डा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से सुस्ज्जीत किया जाना है। उक्त हेतु विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या, छात्राओं की सुरक्षा भोगौलिक पृष्ठभूमि इत्यादि को ध्यान में रख के योजनाओं का चयन किया जा रहा है।

इसी क्रम में पुराना समाहरणालय भवन को शिक्षा के हब के रूप में विकसित किया जाना है, ताकि जिले के छात्र-छात्राओं व युवाओं को एक ही प्रांगण में शैक्षणिक अध्ययन सामग्री के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रर्याप्त सामग्री एवं कोचिंग व शांतिपूर्ण वातावरण में लाईब्रेरी की सुविधा प्राप्त हो सके। उक्त प्रस्ताव को समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अन्त में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

24/08/24	28/8/24	28/8/24
नोडल पदाधिकारी, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा	उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा	उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गोड्डा

24/8/24

ज्ञापांक...469.../डी०एम०एफ०टी०, गोड्डा, **दिनांक**-28.08.2024

प्रतिलिपि:- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/08/24

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा